

07/11/24

पत्रावली पेश हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अतिक्रमण हटवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वांछित अनुतोष चाहा है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्व्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौशने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्व्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण ग्राम परालिया सांसण तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 273/252 रकबा 2.14 बीघा के बदिशा दक्षिण में परिशिष्ट अ में मार्क अ, ब, स, द से दर्शित भूमि की मौके की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक जज
(S.D.O.) बालोतरा

07.11.24